चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री हारून रशीद खां व उनकी टीम द्वारा बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.07.2026 को एक वादिया/पीड़िता द्वारा थाना बहिलपुरवा में सूचना दी गयी कि अभियुक्त नत्थू द्वारा दिनांक 08.07.2026 को पीछे के दरवाजे से अन्दर घुसकर मुह में कपड़ा डालकर हाथ पैर दबाकर जबरन बलात्कार करना विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना । सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0स0 36/2026 धारा 333,64(1),351(3) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम नत्थू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 15.05.2026 को उ0नि0 श्री हारून रशीद खां व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नत्थू उपरोक्त को गिरधार बाबा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री हारून रशीद खां

2.मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह

3.आरक्षी सतीश यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राम सिंह व उनकी टीम द्वारा बस में हुई नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.07.2026 को एक वादिया द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी गयी कि अभियुक्त दिनांक 14.07.2026 को सुबह करीब 10:30 बजे रोडवेज बस से प्रयागराज से दवा करा करके अपने गांव जा रही थी। वादिया के बगल में बैठा राज किशोर ने उसकी पुत्री उम्र करीब 3 वर्ष के साथ अश्लील हरकत की जिससे वादिया पुत्री चिल्लाई तभी उसने उस व्यक्ति के चंगुल से अपनी पुत्री को छुड़ाया। इस सूचना के आधार पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 201/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट बनाम राजकिशोर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनाँक 14.06.2026 को थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राम सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजकिशोर उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री राम सिंह थानाध्यक्ष रैपुरा

2.रि0का0 सूरज कुमार यादव

3.रि0का0 आदित्य यादव

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह,पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 15.07.2026 को

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 549/2014 धारा 498ए,364,376ख भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.पप्पू उर्फ विनोद कुमार पटेल पुत्र राजाराम निवासी भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 17000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं सहआरोपीगण 1.कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू पुत्र गौरीशंकर निवासी राजाताला मजरा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का कारावास व 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.08.2014 को एक वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी थी कि पीड़िता के पति कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू पुत्र गौरीशंकर निवासी राजाताला मजरा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करना तथा मांग पुरी न होने पर प्रताड़ित करना तथा दिनांक 29.07.2014 को पीड़िता के पति कृष्ण कुमार उपर्युक्त द्वारा अपने मामा के लड़के 1.पप्पू उर्फ विनोद कुमार पटेल पुत्र राजाराम निवासी भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट साथ मिलकर पीड़िता की अपहरण कर लेना तथा जबरदस्ती बलात्कार करना । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 549/2014 धारा 498ए,364,376ख भादवि0 बनाम 1.पप्पू उर्फ विनोद कुमार पटेल पुत्र राजाराम निवासी भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट 2. 1.कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू पुत्र गौरीशंकर निवासी राजाताला मजरा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया । विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री सुजान सिंह तोमर द्वारा सम्पादित की गयी। पीड़िता को बरामद कर बयान व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दिनाँक 28.08.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

(5).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 15.07.2026 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त जगदीश कुशवाहा पुत्र भागवत निवासी इटवा डुडैला थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2096/ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।